

farming societies land is held by the societies on free-hold or lease-hold basis ; cultivation is done jointly in both the cases.

There are 121 Cooperative Collective Farming societies in the Union Territory of Manipur.

Government land can be formally allotted to a society only after the society is registered. There is no specific provision in the Assam Cooperative Societies Act, as extended to Manipur, requiring possession of land as a pre-condition for registration of a farming society. The Manipur Administration have informed that, while preference is given in the allotment of Government wasteland to Cooperative Farming Societies, many of them have not been allotted land so far.

Reports of Sub-Committees on development of Marine and Inland Fisheries

7086. SHRI JYOTIRMOY BOSU : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government appointed any technical sub-committees to deal with the development of marine and inland fisheries on the recommendation of the eight meeting of the Central Board of Fisheries ;

(b) if so, whether the Committees have submitted their reports ; and

(c) if so, main recommendations and the reactions of the Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASHEB P. SHINDE) : (a) Two Technical Sub-Committees on the development of Marine and Inland Fisheries have been constituted on the recommendations of the Eight Meeting of the Central Board of Fisheries.

(b) and (c). The Committees are required to review programmes and problems on a continuing basis. The problems taken up for examination by the Marine Committee are the economics of deep sea fishing, standardization of deep sea fishing vessels, study of inshore stock of prawn, marine diesel engines and measures for their improvement, and availability of yarn, net and twine. The Committee for Inland Fisheries have taken up the study of distribution of major carp spawn and fry and problems of

financing of Inland Fisheries commercial projects.

The recommendation received so far relate to the policy for import of equipment for fish-net making factories and certification of marine engines. Expansion of existing fish-net making factories to economic level and establishment of new factories on zonal basis has been recommended. As a measure for improvement of the quality of marine engines, the Committee has recommended introduction of a system of inspection and certification by the Mercantile Marine Department. The first recommendation has been accepted. The Committee is studying further the measures required for implementation of the second recommendation.

Consideration of Rikshaw Workers as Workmen under the Indian Trade Union Act

7087. SHRI DINEN BHATTACHARYA : SHRI DINESH JOARDER :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Rikshaw workers are not being considered as workmen according to the Indian Trade Union Act ; and

(b) if so, the reasons for the same ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). The question whether rikshaw workers are workmen for purposes of the Trade Unions Act, 1926 is to be decided by the Registrar of Trade Unions concerned.

विदेशों से आये शरणार्थी

7088. श्री शंकर बयाल सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के शरणार्थियों के आगमन से पूर्व गत दो वर्षों में भारत में किन-किन देशों से शरणार्थी आये और उनकी देश-वार संख्या क्या है ; और

(ख) उन शरणार्थियों को किन स्थानों पर बसाया गया है और उन्हें स्थायी रूप से बसाने

और रोजगार देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर० के खाडिलकर) : (क) बंगला देश के शरणार्थियों के आने से पूर्व पिछले दो वर्षों में जिन देशों से शरणार्थी भारत आये उनके नाम, शरणार्थियों की देशवार-संख्या नीचे दी गई है :—

देश	शरणार्थियों की संख्या
पाकिस्तान	2,66,585
बर्मा	13,861
श्रीलंका	17,867
तिब्बत	209

(ख) पाकिस्तान : पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले अधिकांश प्रवासी कृषक हैं इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश में बेतुल, सरगुजा और पन्ना ; महाराष्ट्र में चांदा, आंध्र प्रदेश में ईसागांव परियोजना और मैसूर में सिधनूर परियोजना नाम विभिन्न राज्यों की विभिन्न परियोजनाओं में तथा ही दण्डकारण्य परियोजना और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में कृषि पर बसाया जा रहा है। शेष प्रवासियों को विभिन्न राज्यों में लघु व्यापार, औद्योगिक यूनिटों आदि में बसाया जा रहा है। शिविरों में रह रहे प्रवासियों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार पर्याप्त भूमि खोजने का भी भरसक प्रयत्न कर रही है।

बर्मा : बर्मा से आए अधिकांश शरणार्थी मूल रूप से तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अतः प्रत्यावासियों को रंगून में भारतीय राजदूतावास द्वारा उनके यात्रा दस्तावेजों पर की गई इन्दराजों के अनुसार पुनर्वास के लिए यथासम्भव उनके मूल के राज्यों में ही भेजा गया है। प्रत्यावासियों को पुनर्वास के लिए उनके व्यवसाय के अनुसार व्यापार करने के लिए तथा साथ ही कृषि के लिए ऋण दिए जाते हैं। उन्हें अनुमोदित दर पर

शैक्षिक रियायतें, गृह निर्माण ऋण और अन्य वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

श्रीलंका : श्रीलंका के लगभग 9...% प्रत्यावासी बागान कर्मचारी हैं। इसलिए उन्हें आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर तथा तमिलनाडु और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में रबर, चाय और कौफी आदि बागान योजनाओं पर बसाया जा रहा है। जिनमें से कुछ योजनाओं को पहले ही मंजूर किया जा चुका है। बागान कर्मचारियों के अलावा अन्य प्रत्यावासियों को व्यवसाय ऋण आवास ऋण तथा कृषि में पुनर्वास के लिए भूमि का एलाटमेंट और शैक्षिक रियायतों आदि के रूप में पुनर्वास सहायता दी जाती है।

तिब्बत : पिछले वर्षों के दौरान आए 209 शरणार्थियों को पुनर्वास के लिए मैसूर में मुण्डगौड तथा वैलाकुप्पे की कृषि बस्तियों में भेजा जा चुका है।

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में निहित, खास और बेनामी भूमि का क्षेत्रफल तथा भूमिहीन और छोटे किसानों को उसका वितरण

7089. श्री दिनेश जोरदार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में वर्ष 1969 और 1970 में भूमिहीनों और छोटे किसानों में कुल कितने एकड़ निहित, खास और बेनामी भूमि बांटी गई ;

(ख) वर्ष 1971 में जोतदारों और जमींदारों द्वारा उसी भूमि में से कितने एकड़ भूमि फिर बलपूर्वक ले ली गई ; और

(ग) इन गरीब किसानों को उस भूमि को अपने कब्जे में रखने देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब पी० शिंदे) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र